

Terms of Managing Director of Shriram Refrigeration Industries Limited

10801. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that term of the present Managing Director of the Shriram Refrigeration Industries Limited, New Delhi has expired;

(b) when the present Managing Director was appointed;

(c) whether the violation of the Companies Act has taken note of by the Government; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). Shri Sidharth C. Shriram was for the first time appointed as the Managing Director of the company for five years from 1-10-73 with the approval of the Central Government. On expiry of this tenure, his re-appointment with effect from 1-10-78 has also been approved for a period of five years.

(c) and (d). An inspection under section 209A of Companies Act, 1956 has been ordered and only after the receipt of the report it will be known whether there have been any violations of the Companies Act, 1956.

प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण

10802. श्री मृतंजय प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, आदि की किन किन प्रादेशिक भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और प्रति सप्ताह ऐसे कार्यक्रम कितने मिनट तक के लिये और कितने केंद्रों से प्रसारित किए जाते हैं और किन किन प्रादेशिक भाषाओं के लिये अनाउन्सर नियुक्त किए गए हैं और ये कितने प्रसारण केंद्रों पर नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) प्रादेशिक भाषाओं में अनाउन्सरों के पद बनाने समय और उन पर नियुक्तियां करते समय सामान्यतया और विशेष रूप से किन बातों पर विचार

किया जाता है और नियुक्तियां करने के नियम क्या हैं तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कि अच्छे प्राप्त व्यक्तियों को उन्नत रिक्त पदों की जानकारी मिले तथा उन के लिये वे आवेदन पत्र दें ?

सूचना और प्रचारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और उस को सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(ख) प्रादेशिक भाषाओं के उद्घोषक के पदों को बनाने के लिये कई बातें यथा कार्यक्रमों का स्वरूप, कार्यक्रमों की अवधि, ट्रांसमिशन की संख्या जिन पर कार्यक्रम दिये जाते हैं, उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखी जाती है । वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आकाशवाणी केन्द्र एक भाषा/बोली के लिए एक उद्घोषक के पद का अधिकारी हो जाता है यदि केन्द्र उस विशेष भाषा/बोली में एक मास में न्यूनतम 15 घंटे का कार्यक्रम तैयार करता है ।

उद्घोषकों (जूनियर ग्रेड) के पदों की भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाती है । रिक्तियों का विज्ञापन समाचारपत्रों, एम्प्लायमेंट न्यूज, रोजगार समाचार आकाशवाणी कार्यक्रम पत्रिकाओं आदि में बिया जाता है । इस के अतिरिक्त रिक्तियों आकाशवाणी केंद्रों की स्थानीय उद्घोषणाओं में उद्घोषित की जाती है ।

Opening of a T. V. Station at Nagpur

10803. SHRI RAJE VISHVESHWAR RAO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that T.V. Station is to be started at Nagpur in the year 1982, when the space station launched is fixed in the space;

(b) is there any chance of it being started earlier; and

(c) why is there a delay in opening a T.V. Station at Nagpur, which is in the Centre of India?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c). In the approved Draft Sixth Plan of Doordarshan there is no proposal for setting up a TV Station at Nagpur due to constraints on financial resources and the low priority given to the expansion of TV. Regarding the Indian National Satellite (INSAT), the feasibility of utilising it for telecast of TV programmes is being examined.